न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू. अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा
(जिला–भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 9 / 2026
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2026 / 14

अनवान

1–7 कैलाश लाल, पप्पू लाल, मगनी, मथुरा, सेठ लाल, सीता, सीमा पिता जेतू गाडरी निवासी भीमपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1–5 मुंशी खां, गोरू खां, फूल मोहम्मद, शेर मोहम्मद, फारूख खां पुत्र धन्ने खां कायमखानी निवासी भीमपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

6– संजय पुत्र गोरू खां कायमखानी निवासी कायमखानी मोहल्ला फूलियागेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

7– देवकिशन पुत्र कजोड़ गाडरी निवासी भीमपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

8– बद्री पुत्र देवकरण गाडरी निवासी भीमपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

9– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : 13/01/2026

उपस्थित :–

श्री योगेन्द्र सिंह भाटी :अधिवक्ता प्रार्थीगण

::– निर्णय –::

दिनांक : 10/03/2026

1. वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा पेश किया गया संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व **ग्राम भीमपुरा प0ह0 रहड़ भू0अ0निरीक्षक बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 960 / 738 रकबा 0.25 है0, 962 / 739 रकबा 0.51 है0 कुल किता 2 रकबा 0.76 है0** भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की **उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ौसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थीगण दिनांक 10.05.2025 को अपनी आराजियात को देखने गये तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया। इस कारण** प्रार्थीगण के वाद हेतु तारीख 10/10/2025 से पैदा होकर जारी है।
2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामिली विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. प्रार्थीगण अधिकक्ता की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व **ग्राम भीमपुरा प0ह0 रहड़ भू0अ0निरीक्षक बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 960 / 738 रकबा 0.25 है0, 962 / 739 रकबा 0.51 है0 कुल किता 2 रकबा 0.76 है0** भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने के दरम्यान पक्षकारान में आपस में सीमा संबंधी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीगण द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन पेश किया है।
4. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया जाकर विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया । जिससे स्पष्ट है कि राजस्व **ग्राम भीमपुरा प0ह0 रहड़ भू0अ0निरीक्षक बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा** के खेत की आराजी **खसरा नम्बर 960 / 738 रकबा 0.25 है0, 962 / 739 रकबा 0.51 है0 कुल किता 2 रकबा 0.76 है0** भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है, जो

पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की **जमाबंदी संवत् 2074 से 2077** का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण वादगस्त आराजी **खसरा नम्बर 960/738 रकबा 0.25 है0, 962/739 रकबा 0.51 है0 कुल किता 2 रकबा 0.76 है0** के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए स्वंतत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होता है।

—::आदेश::—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी राजस्व **ग्राम भीमपुरा प0ह0 रहड़ भू0अ0निरीक्षक बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 960/738 रकबा 0.25 है0, 962/739 रकबा 0.51 है0** एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर रिकार्ड अनुसार माप करवाते हुए प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बच्छखेड़ा** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 1000/— रूपये** कायम किये जाते है, जो **प्रार्थीगण** से **भू0अ0निरीक्षक बच्छखेड़ा** मौके पर प्राप्त करें। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा वक्त कार्यवाही उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावें। दौराने कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्ततन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। उक्त आदेश के तहत किसी भी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेदबदल नहीं किया जावे। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं न्यायालय का स्थगन होने की दशा में पत्थरगढी की कारवाई नहीं की जावे। यदि सम्पूर्ण भूमि पर अन्य काश्तकार/व्यक्ति काबिज है तो पत्थरगढी की कार्यवाही नहीं की जाकर तद्नुसार रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्थरगढी से पूर्व समस्त पक्षकारान(किसी भी पक्षकारान की मृत्यु की स्थिति में उनके विधिक वारिसान) को सूचित किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक **10/03/2026** को सुनाया गया

(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :— तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि उक्तानुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट भिजावें।

सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा